

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फ.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2020 को COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु की जाने वाली तैयारियों से संबंधित जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

दिनांक 23.03.2020 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु की जाने वाली तैयारियों से संबंधित पूर्व से गठित जिलास्तरीय टॉस्क फोर्स के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में उच्चस्तरीय निदेशानुसार जिलास्तर एवं प्रखण्डस्तर पर कोषांगों के गठन के प्रारूप पर भी विचार विमर्श किया गया।

1. Quarantine, Monitoring and tracking Cell :-

COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिलास्तर पर एक Quarantine, Monitoring and tracking Cell के गठन एवं दायित्व पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है:-

- (i) जिलास्तरीय Quarantine, Monitoring and tracking Cell के वरीय पदाधिकारी के रूप में श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर रहेंगे। श्री फैयाज अख्तर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर इस कोषांग के नोडल पदाधिकारी रहेंगे। इस कोषांग के पुलिस पदाधिकारी के अलावा स्वास्थ्य विभाग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, चिकित्सक आदि भी रहेंगे। उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर इस कोषांग के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आज ही बैठक कर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लेंगे।
- (ii) जिलास्तरीय Quarantine, Monitoring and tracking Cell का दायित्व निम्नवत् होगा:-
 - (क) मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एवं सरकारी तथा निजी बस स्टैण्ड पर राज्य अथवा अन्य देश से आने वाले यात्रियों का मेडिकल टीम के द्वारा मानक के अनुरूप स्क्रीनिंग हो इसे सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही सूची के अनुसार उसका पर्यवेक्षण एवं ट्रेकिंग करते हुए आवश्यकतानुसार चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
 - (ख) बाहर से आने वाले व्यक्तियों में यदि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना प्रकाश में आती है तो उनके Quarantine की व्यवस्था करेंगे। साथ ही उनके ठहरने की व्यवस्था करायेंगे। इस हेतु जिलास्तर से लेकर प्रखण्डस्तर पर ठहरने की जगहों का चिन्हीकरण पूर्व से कर लिया जाएगा।

(ग) कोरोना के संदिग्ध मरीजों का आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता एवं ए.एन.एम. के माध्यम से प्रतिदिन ट्रेकिंग किया जाएगा तथा उन्हें सुरक्षित रूप से घर में ही रहने की व्यवस्था करेंगे।

(घ) उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा बाहर से आने वाले व्यक्तियों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं देख-रेख हेतु प्रखण्डवार/पंचायतवार सूची तैयार कर दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एक प्रपत्र बनाया जाएगा। उक्त प्रपत्र में दैनिक रूप से प्रतिवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। दैनिक प्रतिवेदन ई-मेल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

2. Confirm Cases and Isolation Cell :-

COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिलास्तर पर एक Confirm Cases and Isolation Cell के गठन एवं दायित्व पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है:-

(i) जिलास्तरीय Confirm Cases and Isolation Cell के वरीय पदाधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर रहेंगे। जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर इसका नोडल पदाधिकारी होंगे। साथ ही साथ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर /जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/एस0एम0ओ0, विश्व स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर /डॉ0 संजय कुमार, अध्यक्ष, आई0एम0ए0, मुजफ्फरपुर/मो0 साकिब, आपदा प्रबंधन कन्सलटेंसी, मुजफ्फरपुर/इस कोषांग के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आज ही बैठक कर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लेंगे।

(ii) जिलास्तरीय Confirm Cases and Isolation Cell का दायित्व निम्नवत् होगा:-

(क) जिले के सभी सामुदायिक केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाये गये Isolation Ward के संचालन की नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा।

(ख) जिले के निजी अस्पतालों को भी चिन्हित कर सूची बना लिया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर संक्रमित व्यक्तियों के ईजाल के लिए उसका उपयोग किया जा सके।

(ग) जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय में वैसे विद्यालयों का चयन कर लिया जाए जहाँ कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को Isolation में रखा जा सके। उक्त चयनित स्थलों पर उपचार से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित करायी जाएगी।

(घ) सभी Isolation Ward में आवश्यक दवाओं, चिकित्सकों एवं पारामेडिकल स्टॉफ की प्रतिनियुक्त एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

(ङ) यदि COVID-19 (कोरोना) वायरस के **Confirm** मामलों की सूचना प्राप्त होती है तो उक्त मरीज को विधिवत मानक प्रोटोकॉल के साथ Isolation Ward तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

3. Control Room, Screening & IEC कोषांग-

COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिलास्तर पर एक Control Room, Screening & IEC कोषांग के गठन एवं दायित्व पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है:-

- (i) जिलास्तरीय Control Room, Screening & IEC कोषांग के वरीय पदाधिकारी के रूप में श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर रहेंगे। इस कोषांग के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आज ही बैठक कर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लेंगे।
- (ii) जिलास्तरीय Control Room, Screening & IEC कोषांग का दायित्व निम्नवत् होगा:—
- (क) मुजफ्फरपुर रेवले स्टेशन एवं सरकारी तथा निजी बस स्टैण्ड पर राज्य अथवा अन्य देश से आने वाले यात्रियों का मेडिकल टीम के द्वारा मानक के अनुरूप स्क्रीनिंग किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोरोना का संदिग्ध पाया जाता है तो उसे Quarantine कोषांग में तत्क्षण भेजने की व्यवस्था करेंगे।
- (ख) 104 नंबर प्राप्त सभी सूचनाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्ध लोगों का फॉलोअप किया जाएगा।
- (ग) जिलास्तर पर निर्गत होने वाले संयुक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का दायित्व भी इस कोषांग का होगा।
- (घ) प्रखण्डस्तरीय नियंत्रण कक्ष का गठन सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जाएगा। यदि किसी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लैण्डलाइन टेलीफोन कार्यरत नहीं होगा तो वहां पर प्रखण्ड कार्यालय में नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाएगा।
- (ङ) नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि आम लोगों को इससे सहायता मिल सके। जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर इसे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेंगे।
- (ड) COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित पोस्ट, बैनर, पैम्फलेट आदि की उपलब्धता एवं लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से इसके वितरण की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- (च) जिले के गैर-सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराया जाएगा।

4. Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग :-

COVID-19 (कोरोना) वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिलास्तर पर एक Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग के गठन एवं दायित्व पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है:—

- (i) जिलास्तरीय Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग के वरीय पदाधिकारी के रूप में श्री राजेश कुमार, अपर समाहर्ता, राजस्व, मुजफ्फरपुर रहेंगे। इस कोषांग के नोडल पदाधिकारी के रूप में मो0 महमूद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर रहेंगे। सहयोगी के लिए अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, जिला खनन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अन्य रहेंगे। इस कोषांग के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ आज ही बैठक कर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित कर लेंगे।
- (ii) जिलास्तरीय Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग का मुख्य दायित्व निम्नवत् होगा:—

(क) विभागीय निदेशानुसार COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 31 मार्च 2020 तक आकस्मिक सेवाओं (यथा-1. निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा 2. दूरसंचार सेवा 3. बैंकिंग एवं ए0टी0एम0 सेवायें, 4. डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान 5. खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान 6. फल-सब्जियाँ की दुकानें 7. दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान 8. पेट्रोल पंप एवं सी0एन0जी0 स्टेशन 9. एल0पी0जी0 गैस एजेंसी 10. पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें 11. ई-कॉमर्स सेवायें एवं 12. इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया) को छोड़कर सम्पूर्ण जिला में पूर्णतः लॉकडाउन रखना सुनिश्चित करेंगे। इससे संबंधित विभागीय पत्र एवं सूचना सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को उपलब्ध करा दिया जाए।

(ख) उरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा तथा इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।

(ग) जिले के हितबद्ध संस्थान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिलास्तरीय शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं इससे बचाव हेतु जागरूकता का कार्य करायेंगे। इसके अलावा सभी अनुमंडल एवं थानास्तर पर इस प्रकार की बैठक करायी जाएगी।

(घ) जिलेवासियों को प्रेरित किया जाए कि वे आवश्यक सामग्रियों का क्रय के क्रम में दुकानों तक पैदल चलकर जायें।

(ङ) शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर ड्रॉपगेट/ट्रॉली लगाकर सील कर दिया जाएगा। अनावश्यक वाहनों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(च) लॉकडाउन के दौरान यदि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकान खुला पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यदि कानून का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उनके दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील करा दिया जाएगा।

(छ) जिले के सभी भागों में माईकिंग के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन करने हेतु सूचना दिया जाएगा। साथ ही COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने हेतु जागरूक किया जाएगा।

(ज) यदि किसी दुकानदार/व्यवसायी के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं का बिक्री किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। माईकिंग में इस बात की सूचना का उद्घोष कराया जाएगा। अनुमंडलाधिकारियों के द्वारा इस हेतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों की टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(झ) लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जहाँ भी जितने पुलिस बल की आवश्यकता होती उसकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

(ट) जिला से लेकर प्रखण्ड तक बंदी का फोटोग्राफ्स प्रतिदिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(ठ) जिले के सभी मॉल, रेस्टोरेंट एवं जिम 14 अप्रैल 2020 तक पूरी तरह से बंद रहेगा, इसका अनुपालन करायेंगे।

(ड) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करते हुए Lockdown एवं विधि-व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन करायेंगे।

5. परिवहन :-

(i) जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिले के सभी ऑटो संघ एवं मोटर वाहन संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभागीय निदेशानुसार 31 मार्च 2020 तक आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं की परिधि के बाहर के सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे।

(ii) जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करे इसे सख्ती से अनुपालन करायें।

(iii) अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि बैरिया बस स्टैण्ड को पूर्णतः बंद कराते हुए उसके प्रवेश द्वार पर बैरीकेडिंग करा दिया जाए।

(iv) जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि आकस्मिकता के लिए कम से कम 10 वाहनों की व्यवस्था सरकारी बस स्टैण्ड में कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. Communication Plan :-

(i) उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिलास्तरीय एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर के साथ डाटा तैयार कर Communication Plan तैयार कर लिया जाए।

7. प्रखण्डस्तरीय कोषांगों का गठन :-

COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलास्तर पर गठित कोषांगों के आलोक में प्रखण्डस्तर पर भी कोषांग गठन का निर्णय लिया गया। प्रखण्डस्तरीय कोषांग में प्रखण्डस्तर के सभी पदाधिकारी, सभी पर्यवेक्षीय पदाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्षों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/थानाध्यक्षों को निदेश दिया जाता है कि जिलास्तरीय कोषांग के आलोक में प्रखण्डस्तरीय कोषांग का गठन कर तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे। कोषांग गठन की एक प्रति जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8. सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कोषांग के सफल संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मियों/ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति करते हुए इसकी सूचना अविलंब उपलब्ध करायेंगे।

9. पंचायत :-

(i) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि 1 मार्च 2020 से लेकर आज तक अन्य देश अथवा किसी दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों की सूची सिविल

सर्जन से प्राप्त कर दिनांक 24.03.2020 की सुबह से ही सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। सर्वेक्षण हेतु विधिवत एक प्रपत्र तैयार कर लिया जाए। सर्वेक्षण कार्य उसी दिन संध्या तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

(ii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा रेवले स्टेशन एवं बस स्टैंड में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की गई है तथा उनसे समन्वय स्थापित कर सूची प्राप्त कर तदनुसार कार्रवाई की जाए।

10. स्वास्थ्य विभाग :-

(i) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि पंचायतवार चिकित्सकों की सम्बद्धता करते हुए विभागीय निदेशानुसार 12 टीम का गठन किया जाए। बनाये जाने वाले टीम में चिकित्सकों, पारामेडिकल स्टाफ के साथ-साथ आवश्यक दवा एवं उपकरण की व्यवस्था रहेगी। उक्त टीम को निदेश दिया जाए कि वे पंचायतवार बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों के उपचार एवं अन्य सुरक्षात्मक परिधि में रखने की व्यवस्था करायी जाए।

11. समेकित बाल विकास परियोजना (आई0सी0डी0एस0) :-

(i) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर महिला पर्यवेक्षिकाओं, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं, आशा आदि के माध्यम से बाहर से आने वाले व्यक्तियों का विहित प्रपत्र में सर्वेक्षण करायेंगे। साथ ही वे इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करते रहेंगे। प्रखण्डस्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पंचायत स्तर पर महिला पर्यवेक्षिका सर्वेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण करेंगी।

Sri Krishan Medical College

Letter No:- 1428/20

Date:- 13/04/2020

Receiver Sign

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ए/ -
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1264/गो दिनांक 25/3/20

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर /अधीक्षक/प्राचार्य, एस0के0 एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर/प्रशासक, रेड क्रॉस, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुजफ्फरपुर /सहायक निदेशक,

सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर /एस0एम0ओ0, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुजफ्फरपुर/एच0ओ0डी0, पी0एस0एम0, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ आई0/सी0 डी0एस0, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर /अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0, मुजफ्फरपुर/सहायक प्राध्यापक, टाटा मेंमोरियल, मुजफ्फरपुर/जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर /डी0टी0एल0, केयर, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी अंचलाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2020 को COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित जिलास्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी संघारित।

दिनांक 26.03.2020 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में COVID-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण से बचाव एवं हेतु गठित जिलास्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया:-

1. Quarantine, Monitoring and tracking Cell :-

(i) Quarantine, Monitoring and tracking Cell के वरीय पदाधिकारी श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.03.2020 के बाद विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले लगभग 8000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा उसका निर्धारित पोर्टल पर इन्ट्री कार्य भी आज संध्या तक पूर्ण करा लिया जाएगा। निदेश दिया गया कि किस-किस प्रखण्डों से विहित प्रपत्र में कितना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथा कितना आना शेष है इसकी समीक्षा करते हुए शेष प्रतिवेदन प्राप्त कर उसकी इन्ट्री आज ही करा लिया जाए।

(ii) उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ा के आलोक में प्रत्येक 10-10 सर्वेक्षित व्यक्तियों पर एक-एक पंचायतस्तरीय कर्मियों को दैनिक पर्यवेक्षण हेतु सम्बद्ध करा दिया जाए। वैसे सर्वेक्षित व्यक्तियों के लगातार 14 दिनों तक दैनिक पर्यवेक्षण हेतु उसी आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया जाए, जिनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका नहीं है वैसे स्थानों पर आशा कार्यकर्ता या विकास मित्र की सम्बद्धता किया जाएगा। वार्डवार पंचायतों की सम्बद्धता का कार्य संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। वैसे सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों की लगातार 14 दिनों तक Home Quarantine में रखते हुए निगरानी किया जाना है तथा यह देखना है कि इस बीच में उनके स्वास्थ्य में क्या-क्या बदलाव हुआ। यदि किसी प्रकार की समस्या या अन्य लक्षण पाये जाते हैं तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित किया जाए। वार्डवार सम्बद्धता में यह ध्यान रखा जाएगा कि वह कर्मी उसी वार्ड का निवासी हो, ताकि Home Quarantine में रह रहे व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में परेशानी न हो।

(iii) उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि Home Quarantine में रहने वाले व्यक्तियों के घर के सामने वाले दीवार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये पैम्फलेट (क्या करें, क्या नहीं

९

करें) को चिपकवा दिया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था किया जाए कि उनके घर के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करे तथा वह हमेशा मास्क का उपयोग करे। सुरक्षा एवं संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उनके घर में ताला लगवा दिया जाए। जो व्यक्ति Home Quarantine में रहने वाले व्यक्तियों की देखभाल करेगा वे बकायदा **मास्क** लगाकर रखेंगे तथा पीड़ित व्यक्ति से कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाये रखेंगे।

(iv) अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा जारी पैम्फलेट का आवश्यक संख्या में रंगीन पेपर पर मुद्रण कराते हुए सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी पंचायतों के मुखियागण को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वे स्थानीय स्तर पर बाहर से आने वाले सभी संदिग्ध लोगों के बीच वितरण करा देंगे।

2. Control Room, Screening & IEC कोषांग-

(i) जिलास्तरीय Control Room, Screening & IEC कोषांग के वरीय पदाधिकारी श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.03.2020 तक कुल 645 कॉल रिकार्ड किया गया है। साथ ही प्राप्त कॉल के अनुसार कुल 13 घरों का विजिट किया गया है। प्राप्त कॉल के अनुसार घरों की इतनी कम विजिट पर खेद व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि शतप्रतिशत घरों का विजिट कराना सुनिश्चित किया जाए। इससे संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से प्राप्त कर उसे संकलित किया जाए।

(ii) श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिलास्तरीय वैसे पदाधिकारी जो अभी तक दायित्व से मुक्त हैं उन्हें जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति कर उनको दायित्व दिया जाए।

3. Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग :-

(i) जिलास्तरीय Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग के वरीय पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, अपर समाहर्ता, राजस्व, मुजफ्फरपुर एवं अन्य नोडल/सहयोगी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 14.04.2020 तक आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण जिला में पूर्णतः लॉकडाउन रखना सुनिश्चित करेंगे।

(ii) Lockdown की अवधि में सभी मालवाहक वाहन, खाद्य निगम के वाहन आदि का परिचालन किसी प्रकार से प्रभावित न हो इसे सुनिश्चित कराया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आवश्यकतानुसार इससे सम्बद्ध वाहनों एवं कर्मियों को स्टीकर/पास निर्गत करेंगे, ताकि आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न हो। विधिवत हस्ताक्षर, सील मोहर एवं सिरियल नंबर के अनुसार उसे निर्गत किया जाए और उसे बकायदा पंजी में संधारित किया जाए। वाहन मालिकों को निदेश दिया जाए कि वे वाहन के सामने वाले सीसे पर चिपका लेंगे।

(iii) Lockdown की अवधि में कृषि उत्पादन बाजार समिति, मुजफ्फरपुर में आने एवं जाने वाले मालवाहक वाहनों के लिए अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर नियमानुसार पास निर्गत करेंगे।

(iv) अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/जिला परिहवन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि

Lockdown की अवधि में सभी प्रकार के आवश्यक एवं आकस्मिक वस्तुओं का अधिक से अधिक होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता, मॉल, थोक एवं खुदरा बिक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक रणनीति तैयार किया जाए तथा उन्हें आवश्यक वस्तुओं का होम डिलीवरी कराने हेतु निदेशित किया जाए। विभागीय निदेशानुसार कोई रेस्टोरेंट खाद्य पदार्थ का होम डिलीवरी एवं पैकेजिंग कर सकेंगे, परन्तु लोगों को उसमें खिला नहीं सकता है।

(v) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि किसी वाहन के द्वारा कोई बीमार व्यक्ति को ईलाज हेतु ले जाया जा रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा। ऐसे वाहनों के लिए पास देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही औषधि के परिवहन करने वाले वाहनों को पास देने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) निदेश दिया गया कि किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम के लिए मात्र एक ही वाहन के उपयोग की अनुमान्यता होगी। यदि इस हेतु पास मांगा जाता है तो इस शर्त के आधार पर पास दिया जाए तथा वाहन में बैठने वाले लोग दूरी का अनुपालन करेंगे।

(vii) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की सामग्रियों के बिक्रेता टेला भेण्डर वालों को हर मुहल्ला-गली में जाकर सामान बेचने हेतु प्रेरित किया जाए। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा ऐसे टेला/भेण्डर वालों को चिन्हित कर उसे गली/लेन निर्धारित कर दिया जाए तथा वे प्रतिवेदन घर-घर जाकर आवश्यक वस्तुओं का बिक्री करेंगे। इससे बाजार में लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है।

(viii) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की सामग्रियों के बिक्रेताओं के दुकान/प्रतिष्ठान के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर चूना से गोला बना दिया जाए तथा उन्हें बताया जाए कि कोई भी ग्राहक सामग्री क्रय करने आता है तो उसे उसी गोले में क्रमशः खड़ा कर बारी-बारी से सामान दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के संक्रमण चक्र को तोड़ने में बेहद जरूरी है तथा इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए। नगर क्षेत्र में नगर निकायों द्वारा यह व्यवस्था करायी जाये।

(xi) अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में निर्माणाधीन PICU भवन का निर्माण कार्य चालू कराया जाए। क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही AES/चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। यह भी निदेश दिया गया कि AES/चमकी बुखार से बचाव हेतु निर्धारित पैम्फलेट का मुद्रण कराते हुए सभी प्रखण्डों में वितरण करा दिया जाए।

(xii) Lockdown की अवधि में पशुचारा की दुकान, कृषि से संबंधित दुकान एवं उपकरण के बिक्री एवं परिचालन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(xiii) Lockdown की अवधि में बड़े मालवाहक वाहन रात्रि 10 बजे शहर में प्रवेश करेगा तथा सुबह 8.00 बजे तक माल को अनलोड करते हुए वह शहर से बाहर चला जाएगा, इसका

अनुपालन कराया जाए। खुदरा बिक्रेताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं से संबंधित छोटे मालवाहक वाहन का परिचालन निर्धारित अवधि तक अनुमान्य होगा।

4. साफ-सफाई / Sanitization Cell :-

(i) नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कांटी/मोतीपुर/साहेबगंज को निदेश दिया गया कि COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे शहर को **Sanitization** कराया जाए। इस हेतु जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से समन्वय स्थापित कर मिस टेक्नोलॉजी/फायर टेण्डर के वाहन में एन्टी वायरल मिश्रण तैयार कर आवश्यक कार्रवाई कराया जाए।

(ii) जिला अग्निशमन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि एक या दो मिस टेक्नोलॉजी/फायर टेण्डर के वाहन को तैयार कर नगर आयुक्त, नगर आयुक्त को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए।

5. Confirm Cases and Isolation Cell :-

(i) श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर एवं अन्य पदाधिकारियों को निदेश दिया गया श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर एवं प्रखण्डस्तर पर बनाये गये Isolation Centre में सभी मूलभूत सुविधायें यथा-शौचालय, पेयजल, बिजली, साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था कराते हुए उसे कार्यशील बनाया जाए।

(ii) श्री अतुल कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर एवं अन्य पदाधिकारियों को निदेश दिया गया Confirm Cases की सूचना प्राप्त होने पर उनका समुचित उपचार की व्यवस्था करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

हं/-

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1266/गो0 दिनांक

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर /अधीक्षक/प्राचार्य, एस0के0 एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर/जिला सहकारिता

पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर /एस0एम0ओ0, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुजफ्फरपुर/एच0ओ0डी0, पी0एस0एम0, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ आई0/सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0, मुजफ्फरपुर /जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/डी0टी0एल0, केयर, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी अंचलाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/03/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फं.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, मा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2020 को COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण हेतु विभिन्न व्यावसायिक संघों/थोक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी संघारित।

दिनांक 26.03.2020 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में COVID-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण हेतु विभिन्न व्यावसायिक संघों/थोक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को निम्नांकित निदेश दिया गया:-

1. **पेट्रोल पंप:-** पेट्रोल पंप संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि पेट्रोल पंप तक आने के क्रम में पुलिस के द्वारा उनके स्टॉफ को मारा-पीटा जाता है जिसके कारण वे लोग नहीं आ पा रहे हैं तथा पंप सुचारु रूप से नहीं चलाया जा रहा है। सभी अनुमंडलाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि विहित प्रपत्र में उनसे जानकारी प्राप्त करते हुए उनको विधिवत पास निर्गत कर दिया जाए, ताकि वे लोग अपने-अपने पेट्रोल पंप को नियमित रूप से चलायें। यदि कोई भी स्टॉफ किसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हो तो उनके साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं किया जाए। इस आशय की सूचना सभी थाना प्रभारियों को दे दी जाए। पेट्रोल पंप संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जब तक पास नहीं मिल जाता है तब तक सभी स्टॉफ को अपने हस्ताक्षर से परिचय पत्र या कोई पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाए।

2. सभी थोक विक्रेताओं को बताया गया कि प्रतिदिन अपने प्रतिष्ठान में मूल्यतालिका प्रदर्शित करनी है। यदि थोक विक्रेताओं के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो बिहार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1977 की धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिदिन इससे संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। सभी अंचलाधिकारियों, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों के द्वारा इसकी प्रतिदिन जांच की जाएगी।

3. सभी थोक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों के माध्यम से सभी आवश्यक एवं आकस्मिक वस्तुओं का अधिक से अधिक होम डिलीवरी की व्यवस्था कर उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाया जाए। इस हेतु व्हाट्सएप नंबर को सार्वजनिक कर दिया जाए। होम डिलीवरी से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी होगा तथा बाजार में आवश्यक भीड़-भीड़ भी नहीं होगी।

4. **एलपीजी गैस :-**

(i) बैठक में उपस्थित सभी गैस वितरक एजेंसी के प्रतिनिधियों को बताया गया कि जिला प्रशासन की अपेक्षा है कि गैस सिलिण्डर की पूर्व की भांति निर्बाध आपूर्ति की श्रृंखला बनी रहे।

इसे सुनिश्चित कराया जाए। लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्य या जिले से आने वाले गैस सिलिण्डर के वाहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। गैस सिलिण्डर की आपूर्ति उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही जाकर की जाए। किसी भी स्थिति में एजेंसी या गोदाम पर उपभोक्ताओं को गैस सिलिण्डर की आपूर्ति नहीं की जाए। इसके लिए विधिवत सूचना चिपका दिया जाए तथा उन्हें बताया जाए कि वे ऑनलाईन माध्यम से गैस सिलिण्डर की बुकिंग करेंगे तथा उन्हें घर पर डिलीवरी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को यह भी जानकारी दी जाए कि गैस सिलिण्डर की कोई कमी नहीं है तथा घबराने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) बैठक में उपस्थित सभी गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि उपभोक्ताओं के द्वारा ऑनलाईन बुकिंग एवं भुगतान किया जाता है तो उसको और अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए।

(iii) माँ यशोदा गैस एजेंसी, माड़ीपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि एजेंसी पर बाहर से बाईक से आने के क्रम में उनके स्टॉफ को रास्ते में परेशानी होती है तथा पुलिस के द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया जाता है।

सभी अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि सभी एजेंसी से विहित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए उनको विधिवत पास निर्गत कर दिया जाए, ताकि वे लोग अपने-अपने एजेंसी में नियमित रूप से पहुंचें। यदि कोई भी स्टॉफ किसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हो तो उनके साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं किया जाए। इस आशय की सूचना सभी थाना प्रभारियों को दे दी जाए। गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जब तक पास नहीं मिल जाता है तब तक सभी स्टॉफ को अपने हस्ताक्षर से परिचय पत्र या कोई पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाए।

(iv) सभी गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि लॉकडाउन की अवधि में यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलिण्डर की पॉइन्ट डिलीवरी की जा रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से अनुमान्य नहीं है। निदेश दिया गया कि इसको तुरंत बंद करें तथा होम डिलीवरी ही किया जाए। अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इसको सुनिश्चित कराया जाए। यदि किसी एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए।

(v) वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा सभी गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि एजेंसी या गोदाम पर उपभोक्ताओं की भीड़ किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाए। यदि कोई उपभोक्ता आ जाता है उन्हें समझा कर घर भेज दिया जाए तथा उनसे कहा जाए कि गैस सिलिण्डर की होम डिलीवरी हो जाएगी।

(vi) वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा सभी गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि यदि भारी मात्रा में राशि को डिपोजिट करने जाते हैं तो इसकी सूचना स्थानीय थानाध्यक्ष को निश्चित रूप से दें। सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि कैश डिपोजिट करने के क्रम में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा।

(vii) सभी गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त में दिये जाने वाले गैस सिलिण्डर देने के क्रम में सोशल

डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता सूची तैयार कर उपभोक्ताओं को ऑनलाईन बुकिंग हेतु प्रेरित किया जाए।

5. दवा विक्रेता संघ :-

(i) बैठक में उपस्थित दवा विक्रेता संघ के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि सिकन्दरपुर ओपी के पास कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस द्वारा उनके स्टॉफ के साथ मार-पीट किया जाता है, जिसके कारण वे लोग प्रतिष्ठान/दुकान पर नहीं आ रहे हैं।

सभी अनुमंडलाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि सभी दवा एजेंसी से विहित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए उनको विधिवत पास निर्गत कर दिया जाए, ताकि वे लोग अपने-अपने एजेंसी में नियमित रूप पहुंचें। दवा विक्रेता एजेंसी के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जब तक पास नहीं मिल जाता है तब तक सभी स्टॉफ को अपने हस्ताक्षर से परिचय पत्र या कोई पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाए।

(ii) दवा विक्रेता संघ के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि दवा की आपूर्ति श्रृंखला को बनाये रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि पटना में दवा के मालवाहक वाहन फंसा हुआ है तथा लॉकडाउन के कारण मुजफ्फरपुर नहीं आ पा रही है जिससे समस्या हो रही है। उन्हें सुझाव दिया गया कि पटना के थोक विक्रेताओं से समन्वय स्थापित कर उसे मंगा लिया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार मुजफ्फरपुर से भी वाहन भेजकर दवा को मंगाया जा सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि दवा विक्रेता संघ के प्रतिनिधि से वाहन के मालिक, वाहन नंबर एवं अन्य आवश्यक सूचना प्राप्त कर विधिवत आवश्यकतानुसार **अन्तर्जिला पास** जारी कर दिया जाए। पास में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए कि उक्त वाहन का उपयोग केवल दवा की आपूर्ति के लिए ही अनुमान्य होगा।

6. सभी थोक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में शामिल मालवाहक वाहनों का पास नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से समन्वय स्थापित कर प्राप्त कर लिया जाए। इस हेतु विधिवत प्रपत्र में वाहन से संबंधित सभी वांछित जानकारियाँ आज ही उपलब्ध करा दिया जाए। निर्गत किये जाने वाले पास में वाहन का नंबर, मालिक का नाम, फोटो, लाईसेंस नंबर एवं अन्य वांछित जानकारियाँ जरूर अंकित किया जाए।

7. डेयरी उत्पादक संघ :-

(i) डेयरी उत्पाद से जुड़े तिमूल, सुधार, मदर डेयरी, आशीर्वाद, गामा के प्रतिनिधियों के द्वारा जानकारी दी गई कि उनके कार्यालय में कार्य करने वाले स्टॉफ के आवाजाही में परेशानी हो रही है। डेयरी उत्पाद के प्रबंधकों को निदेश दिया गया कि अपने हस्ताक्षर से सभी संबंधित स्टॉफ का परिचय पत्र उपलब्ध करा दिया जाए।

डेयरी उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि यदि उनका कोई स्टॉफ बैंक में राशि जमा कराने जाता है या कलेक्शन के लिए जाता है तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसकी पूर्व सूचना स्थानीय पुलिस को जरूर दें। कोशिश यह किया जाए इस दौरान वाहन का उपयोग कम से कम हो।

8. आलू-प्याज के थोक विक्रेता संघ :-

(i) आलू-प्याज के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि आलू-प्याज के भंडार एवं परिवहन में कोई समस्या नहीं है। थोक विक्रेताओं के द्वारा उचित मूल्य पर आलू-प्याज उपलब्ध कराया जाता है, परन्तु खुदरा विक्रेताओं के द्वारा मनमाने दर पर इसकी बिक्री किये जाने की सूचना है।

(ii) आलू-प्याज के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि छोटे वाहनों के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं तक माल पहुंचा कर पुनः वापस आने के क्रम में रास्ते में पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। निदेश दिया गया कि जैसे वाहन के चालकों को सामग्रियों का रसीद या चालान की प्रति उपलब्ध कराया जाए, जिसे पुलिस को दिखाकर वे अपने गन्तव्य स्थान तक जा सकें या पैड पर ही लिखकर चालक को दे दिया जाए।

(iii) समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि कैश कलेक्शन में लगे स्टॉफ को परेशानी होती है। आलू-प्याज के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि ऐसे स्टॉफ को प्रतिष्ठान की तरह से पहचान पत्र दे दिया जाए।

9. दाल के थोक विक्रेता संघ :-

(i) दाल के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि इस जिले में ज्यादातर दालें नागपुर या मध्यप्रदेश से आती हैं। लॉकडाउन के कारण दाल का आवक नहीं हो पा रहा है तथा यदि समय रहते नहीं आयेगा तो इसकी किल्लत हो सकती है। निदेश दिया गया कि दालों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जाए। अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे अविलंब आवश्यक कार्रवाई करें तथा जो अन्य राज्यों में वाहन फंसा हुआ है उसे मंगवाने की कार्रवाई की जाए।

(ii) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी किस्म के दालों का दैनिक दर सभी प्रतिष्ठानों पर प्रदर्शित कराया जाए। किसी प्रकार जमाखोरी अथवा कालाबाजारी नहीं हो इसे सुनिश्चित कराया जाए। सभी थोक विक्रेता निर्धारित समय पर दुकान खोलें, इसे भी सुनिश्चित कराया जाए।

10. आटा के थोक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता संघ :-

(i) आई0टी0सी0 आशीर्वाद, आटा के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके पास लगभग दो-तीन दिन के लिए गेहूं का स्टॉक है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि लॉकडाउन के चलते अन्य जिलों से आने वाले मालवाहक वाहन वर्तमान में हाजीपुर में फंसा हुआ है। अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि हाजीपुर के पुलिस उपाधीक्षक से बात कर वहां से गेहूं लदे वाहन को मुजफ्फरपुर लाया जाए। साथ ही उनको कहा जाए कि यदि कोई भी वाहन गेहूं लेकर आता है तो उसे नहीं रोका जाएगा।

(ii) रमण आटा मिल के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके पास उत्तर प्रदेश से गेहूं की आवक होती थी, परन्तु लॉकडाउन के चलते वहां का पार्टी गेहूं नहीं भेज रहा है।



(iii) राजा आटा मिल के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके पास आटा का स्टॉक समाप्त हो चुका है तथा गेहूं का भंडार भी उपलब्ध नहीं है। अगले 15 दिनों के लिए लगभग 200-300 टन गेहूं की आवश्यकता है।

(iv) सरस्वती आटा मिल के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके पास वर्तमान में मात्र 57 टन गेहूं उपलब्ध है। अगले 15 दिनों के लिए कम से कम 1500 टन गेहूं की आवश्यकता होगी।

(v) सुमित्रा आटा मिल, बेला के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके पास वर्तमान में मात्र 375 क्विंटल गेहूं उपलब्ध है। अगले 15 दिनों के लिए कम से कम 1200 टन गेहूं की आवश्यकता होगी। परिवहन की समस्या आ रही है।

(vi) पशुपति आटा मिल, बेला के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके पास वर्तमान में बहुत कम गेहूं उपलब्ध है। अगले 15 दिनों के लिए कम से कम 1500 टन गेहूं की आवश्यकता होगी। परिवहन की समस्या आ रही है।

(vii) फॉरच्यून आटा आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि वे बनारस से आटा मंगाते हैं तथा वहां से चल चुका है, परन्तु गोपालगंज के बॉर्डर पर फंसा हुआ है। अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी को निदेश दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे मंगाना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) यह बात प्रकाश में आई कि बेला औद्योगिक क्षेत्र में बोरा बनाने की फैक्टरी लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है, जिसके कारण माल की पैकेजिंग में समस्या हो रही है। महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे उक्त फैक्टरी के संचालक से समन्वय स्थापित कर शीघ्र चालू कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त फैक्टरी के सभी कामगार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये सभी सुरक्षा मानकों को पूर्ण करें इसे भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

(ix) आटा के थोक विक्रेताओं एवं संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर में पंजीकरण कराते हुए आवश्यकतानुसार गेहूं प्राप्त कर पूर्व की भांति बाजार में आटा की आपूर्ति सुनिश्चित करायें। यदि किसी मिल मालिक के द्वारा गेहूं की कमी की बात कहकर यदि आटा की आपूर्ति नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उनके प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे आटा मिल के संचालकों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार प्रतिदिन आटा की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे।

(x) आटा के थोक विक्रेताओं एवं संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन निर्धारित मूल्य पर आटा मिले इसे सुनिश्चित कराया जाए। किसी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा मुनाफाखोरी की बात प्रकाश में आने पर संबंधित के विरुद्ध बिहार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1977 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।



(Xi) उपस्थित आटा के थोक विक्रेताओं एवं संघ के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जीरोमाईल डिपो से मालवाहक वाहनों की आवाजाही बाधित है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे अविलंब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बनी रहे इसे हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा।

11. चावल के थोक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता संघ :-

(i) चावल के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि चावल की उपलब्धता एवं आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। चावल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा ग्राहकों को उचित दाम पर मिल रहा है।

12. खाद्य तेल/रिफाईन, डालडा के थोक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता संघ :-

(i) खाद्य तेल के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि आगरा में खाद्य तेल का मिल बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। डिपो से मालवाहक वाहन के आने में समस्या होती है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे अविलंब इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बनी रहे इसे हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा।

(ii) खाद्य तेल के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि खुदरा विक्रेताओं को पक्का बिल दें तथा माल के परिवहन में बिल दिखाकर उसे निर्धारित स्थान तक ले जाया जाएगा। प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की रोक नहीं है।

(iii) खाद्य तेल के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने प्रतिष्ठान के लेटर हेड पर सभी आवश्यक जानकारियाँ अंकित करते हुए हस्ताक्षर एवं मुहर से मालवाहक वाहन के चालक को उपलब्ध करा दिया जाए। यदि आवश्यकता हो तो उसे संबंधित अनुमंडलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवा लिया जाए।

13. पतंजलि सामग्री के थोक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता संघ :-

(i) पतंजलि के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्टॉफ के नहीं आने के कारण जिले के कई पतंजलि स्टोर बंद हो गया है। निदेश दिया गया कि अपने स्तर से परिचय पत्र निर्गत कर सभी स्टॉफ एवं खुदरा विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो अनुमंडलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जाए।

(ii) पतंजलि के थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक वस्तुओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाए। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।

14. बिग बाजार/विशाल मेगा मार्ट एवं अन्य वितरक :-

(i) बिग बाजार एवं विशाल मेगा मार्ट के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं का अधिक से अधिक से होम डिलीवरी कराया जाए। इस हेतु व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक करा दिया जाए, ताकि उपभोक्ता अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें। साथ ही ऑनलाईन

ऑर्डर लेने की व्यवस्था की जाए तथा इसके लिए ई-मेल आईडी भी सार्वजनिक कराया जाए। अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर इसका अनुपालन करायेंगे।

(ii) यह भी निदेश दिया गया कि अपने स्तर से परिचय पत्र निर्गत कर सभी स्टॉफ एवं कर्मियों को उपलब्ध करा दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो अनुमंडलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जाए।

(iii) बिग बाजार एवं विशाल मेगा मार्ट के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि वे एक साथ अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं देंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान के सामने एक मीटर की दूरी पर चूना से गोला बना दिया जाए। साथ ही केवल खाद्य पदार्थ का ही स्टॉल खुला रहेगा इसे सुनिश्चित कराया जाए।

(iv) प्रकाश गुप्ता एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बावजूद स्टॉफ नहीं आने के कारण होम डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इन्हें परिचय पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(v) बिग बाजार/विशाल मेगा मार्ट एवं अन्य एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि स्टॉफ के आने-जाने में परेशानी होती है। निदेश दिया गया कि अपने स्तर से परिचय पत्र निर्गत कर सभी स्टॉफ एवं खुदरा विक्रेताओं को उपलब्ध करा दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो अनुमंडलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जाए। साथ ही स्टॉफ को विशेष प्रकार का टी-शर्ट उपलब्ध करा दिया जाए।

15. खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान :-

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लॉकडाउन के कारण सोयाबीन उत्पादक प्रतिष्ठान, माड़ीपुर एवं अन्य उत्पादक प्रतिष्ठान का उत्पादकन बंद हो गया है।

(ii) खाद्य पदार्थों के उत्पादन से जुड़े ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सुचारु रूप से संचालन कराने हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को प्राधिकृत किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों से समन्वय स्थापित करते हुए एवं उनकी समस्या आ समाधान कराते हुए अविलंब प्रतिष्ठान को चालू कराना सुनिश्चित करें।

(iii) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि पॉल्ट्री फीड के प्रतिष्ठान के संबंध में भी आवश्यकतानुसार इकाईयों को प्रारंभ करायें तथा पॉल्ट्री फॉर्म में बर्ड फ्लू की एक बार जांच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

16. पशुचारा/उर्वरक एवं कृषि उपकरण प्रतिष्ठान :-

(i) लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के उर्वरक एवं कृषि उपकरणों के परिवहन एवं बिक्री पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वे इस संबंध में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(ii) जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि लॉकडाउन की अवधि में जिले में पशुचारा की कमी नहीं हो इसे सुनिश्चित करायेंगे।



17. बाजार/मूल्य नियंत्रण :-

(i) सभी थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तु जैसे चावल, दाल, आटा, चीनी, नमक, आलू, प्याज, सब्जी आदि का उपभोक्ताओं से अधिक दर लिया जाएगा तो संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध बिहार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1977 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से भी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी/जाँच करायी जाएगी।

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी एवं पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र के थोक विक्रेताओं से सभी प्रकार के आवश्यक सामग्री की भंडार क्षमता, बिक्री दर एवं सामग्रियों की प्रतिशत खपत की सूचना प्राप्त करें और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायें। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, मुजफ्फरपुर से भी प्रतिदिन सामग्रियों की उपलब्धता एवं बिक्री दर से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

(iii) सभी थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर प्रतिदिन थोक एवं खुदरा मूल्य की तालिका प्रदर्शित करायेंगे। यदि ऐसा नहीं पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिहार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1977 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसे सुनिश्चित कराया जाए।

(iv) सभी थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि इस वैश्विक महामारी के समय किसी भी थोक विक्रेता के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी या कालाबाजारी नहीं किया जाए इसे सुनिश्चित करायें। यदि इस प्रकार शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिहार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1977 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसे सुनिश्चित कराया जाए।

(v) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से स्टॉक का सत्यापन किया जाए।

(vi) सभी थोक विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि खुदरा विक्रेताओं के द्वारा सामग्री के क्रय के क्रम में उन्हें पक्का रसीद या चालान दिया जाए। यदि किसी प्रतिष्ठान के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

18. कृषि उत्पादन बाजार समिति, मुजफ्फरपुर :-

(i) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति के सभी थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठान पर सामग्रियों के उपलब्ध भंडार एवं थोक मूल्य की तालिका अनिवार्य रूप से लगवा दिया जाए। साथ ही उन्हें निदेशित किया जाए वे प्रतिदिन इसका अद्यतीकरण कराते रहेंगे। ऐसा नहीं करने वाले प्रतिष्ठान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।



(ii) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में उपयोग होने वाले मालवाहक वाहनों का नियमानुसार पास निर्गत करा दिया जाए, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

(iii) अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में खुदरा विक्रेताओं की भीड़ नहीं हो इसे नियंत्रित किया जाए। वैश्विक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सभी प्रतिष्ठानों के सामने एक या दो मीटर की दूरी पर चूना से गोला बना दिया जाए, ताकि लोग सोशल डिस्टेंशन का अनुपालन करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि खुदरा विक्रेताओं के आवश्यकतानुसार कुछ कुर्सी की व्यवस्था संबंधित प्रतिष्ठान के द्वारा कराया जाए तथा उसे दो-दो मीटर की दूरी पर लगा दिया जाए, ताकि लोग उस बैठकर अपने क्रम की प्रतीक्षा कर सकें।

19. सोशल डिस्टेंसिंग :-

(i) सभी थोक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों/एजेंसी के संचालकों को निदेश दिया गया कि थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता मंडी में व्यवसायियों एवं ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए। वैश्विक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सभी प्रतिष्ठानों/मंडियों/दुकानों के सामने एक या दो मीटर की दूरी पर चूना से गोला बना दिया जाए, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि उपलब्धता के अनुरूप मास्क का उपयोग करें या अपने मुंह पर रुमाल रख लें। अनुमंडलाधिकारी भी अपने स्तर से इसे सुनिश्चित करावेंगे।

(ii) सभी थोक विक्रेताओं के प्रतिनिधियों/एजेंसी के संचालकों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने अधीनस्थ स्टॉफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए। जो भी होम डिलीवरी के लिए उनके स्टाफ जाते हैं वे मास्क एवं ग्लब्स अनिवार्य रूप से लगावेंगे। साथ ही ग्राहक के घर पर गेट पर से ही सामान उपलब्ध कराकर वापस आ जावेंगे।

(iii) नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया कि शहर के सभी वार्ड में अवस्थित प्रतिष्ठान/दुकान के सामने एक-एक मीटर का चूना से गोला बनवा दिया जाए तथा ग्राहकों से उसका अनुपालन कराया जाए।

(iv) नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया कि आवश्यक वस्तुओं यथा फल, सब्जी बेचने वाले टेला भेण्डर के लिए गली/स्ट्रीट निर्धारित करा दिया जाए तथा वे उसी गली में घूम-घूमकर सामान बेचेंगे। इससे बाजार में लोगों की भीड़ नहीं होगी।

20. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सभी डिपो का स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए तथा जो भी समस्या है उसका सम्यक समाधान कराते हुए आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखा जाए।

21. लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति एवं परिवहन को बनाये रखने की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों का नियमानुसार पास निर्गत करेंगे। साथ ही अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सरकारी कार्यालय /संस्था/मॉल में कार्यरत कर्मियों का नियमानुसार पास निर्गत करेंगे। इसकी समुचित व्यवस्था



करा लिया जाए तथा विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर पास निर्गत करने की कार्यवाही की जाए।

22. आपदा राहत केन्द्र / सामुदायिक किचेन :-

(i) अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि शहर के तीन प्रमुख स्थान यथा गरीब स्थान मंदिर के पास, रेलवे स्टेशन के पास एवं बैरिया बस स्टैण्ड के पास सामुदायिक किचेन की शुरुआत आज से ही कराया जाए। उक्त सामुदायिक किचेन में शहर के फुटपाथी, निराश्रित व्यक्तियों तथा जिले से बाहर के फँसे हुए व्यक्तियों को भोजन कराया जाए।

(ii) अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सामुदायिक किचेन में दो-दो मीटर की दूरी पर कुर्सी, टेबुल आदि लगवा दिया जाए तथा उसी पर बैठकर लोगों को भोजन खिलाया जाए। उक्त स्थल पर भोजन के अलावा पेयजल एवं हैण्डवाश आदि की भी समुचित व्यवस्था करा दिया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि सामुदायिक किचेन स्थल पर एक बैनर भी लगवा दिया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों की इसकी जानकारी हो सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


हृद्य-
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1267/गो० दिनांक 26/3/21

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/नगर पलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक/प्राचार्य, एस०के० एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/जिला प्रबंधक, बिहा राज्य खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/जिला

कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर / एस0एम0ओ0, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुजफ्फरपुर/एच0ओ0डी0, पी0एस0एम0, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर/आई0/सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी /अध्यक्ष/सचिव, आई0एम0ए0, मुजफ्फरपुर /जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/डी0टी0एल0, केयर, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी अंचलाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी थोक विक्रेता संघों के प्रतिनिधियों/संचालकों, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


26/03/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फ.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2020 को COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित जिलास्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों / प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

दिनांक 27.03.2020 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में COVID-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण से बचाव एवं हेतु गठित जिलास्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों, प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रखण्डवार समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया:-

➤ COVID-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों तथा कर्मियों का हर प्रकार के सामान्य अवकाश को रद्द किया जाता है। सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे 24 घंटे मुख्यालय में बने रहेंगे तथा अल्पकालीन सूचना पर तुरंत कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रखण्ड मुख्यालय में आवासन सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी स्तर पर यह सूचना मिलती है कि आप मुख्यालय से बाहर कहीं और आवासन करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे कि यह वैश्विक आपदा का समय है तथा ऐसी परिस्थिति में सबों की भागीदारी अनिवार्य है। सभी लोग तन्मयता एवं तत्परता से अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ऐसी अपेक्षा है।

1. Quarantine, Monitoring and tracking Cell :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बताया गया कि किसी दूसरे देश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले अप्रवासी व्यक्तियों की पहचान, पर्यवेक्षण एवं Quarantine के लिए Quarantine, Monitoring and tracking Cell जिला एवं प्रखण्डस्तर पर कार्यरत है। विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा उसका निर्धारित पोर्टल पर इन्ट्री कार्य भी पूर्ण हो चुका है। निदेश दिया गया कि प्रखण्डों में जाकर यह देख लिया जाए कि किस-किस वार्ड से अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा कितना इन्ट्री अभी शेष है। इसकी समीक्षा करते हुए शेष प्रतिवेदन प्राप्त कर उसकी इन्ट्री आज ही करा लिया जाए।

(ii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बताया गया कि सर्वेक्षण के उपरांत सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों की सूची के अनुसार प्रत्येक 10-10 सर्वेक्षित व्यक्तियों पर एक-एक पंचायतस्तरीय कर्मियों को दैनिक पर्यवेक्षण हेतु सम्बद्ध कराया गया है। वैसे सर्वेक्षित व्यक्तियों को लगातार 14 दिनों तक Home Quarantine में रखकर उसका दैनिक पर्यवेक्षण हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया गया है। जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका नहीं है वैसे स्थानों पर आशा

२

कार्यकर्ता या विकास मित्र की सम्बद्धता किया जाएगा। वार्डवार पंचायतों की सम्बद्धता का कार्य संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। वैसे सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों की लगातार 14 दिनों तक Home Quarantine में रखते हुए निगरानी किया जाना है तथा यह देखना है कि इस बीच में उनके स्वास्थ्य में क्या-क्या बदलाव हुआ। यदि किसी प्रकार की समस्या या अन्य लक्षण पाये जाते हैं तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित किया जाएगा। वार्डवार सम्बद्धता में यह ध्यान रखा जाएगा कि वह कर्मी उसी वार्ड का निवासी हो, ताकि Home Quarantine में रह रहे व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में परेशानी न हो। निदेश दिया गया कि प्रखण्डों में जाकर इसकी गहन समीक्षा कर ली जाए तथा वार्डवार सम्बद्धता में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो उसे आज ही करा लिया जाए।

(iii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले सर्वेक्षित व्यक्तियों के डाटा को 14 मार्च 2020 की तिथि के आधार पर फिल्टर कर लिया जाए तथा जिनका Home Quarantine में रहने अवधि 14 दिन पूर्ण हो चुका है उसकी अलग से सूची बना लिया जाए। साथ ही जो लोग 14 मार्च 2020 के बाद आये हैं उन सभी को Home Quarantine में रखते हुए उनका दैनिक पर्यवेक्षण कराया जाए।

(iv) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 14 मार्च 2020 के बाद आये सभी विदेशी प्रवासियों के निवास स्थान का शतप्रतिशत सत्यापन करा लिया जाए तथा उनको Home Quarantine में रखा जाए और विशेष निगरानी रखा जाए। यदि जो लोग अपने घर पर ही Home Quarantine में रह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे अपने परिवार या समाज के किसी अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में कदापि नहीं आयें। उनके परिवार के सदस्य को यह सुझाव दिया जाए कि जिस कमरे में बाहर से आने वाले सदस्य रह रहे हैं उसके दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। जो लोग उनका देखभाल करते हैं या खाना, पानी या अन्य दैनिक वस्तुयें देते हैं वे भी विशेष सावधानी बरतें तथा मास्क एवं ग्लब्स का निश्चित रूप से उपयोग करें।

(v) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Home Quarantine में रहने वाले सभी संदिग्ध व्यक्ति मास्क का उपयोग करें इसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

(vi) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि Home Quarantine में रहने वाले व्यक्तियों के घर के सामने वाले दीवार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये गये पैम्फलेट को चिपकवा दिया जाएगा। उक्त पोस्टर में 14 दिनों का कॉलम बना है तथा जो पंचायतस्तरीय कर्मी Home Visit या पर्यवेक्षण में जायेंगे वे उसमें तिथिवार दैनिक उपस्थिति अंकित करेंगे। यदि कोई बीमारी का लक्षण दृष्टिगोचर होता है कि चिकित्सकों को सूचित कर उचित दवा दिया जाएगा। निदेश दिया गया कि सभी पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों, महिला सेविकाओं के द्वारा शतप्रतिशत Home Visit करवा लिया जाए तथा उनके घर पर उक्त पोस्टर को चस्पा करा दिया जाए और मास्क भी उपलब्ध करा दिया जाए।

(vii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास परदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर Home Visit का आदेश निर्गत करा दिया जाए।

(viii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि किसी परिवार में कमरे की कमी हो तथा बाहर से आने वाले सदस्यों के लिए Home Quarantine की

२

समुचित व्यवस्था नहीं हो तो ऐसे व्यक्तियों को उक्त वार्ड/पंचायत के विद्यालयों में बनाये गये Quarantine Centre पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। पीड़ित व्यक्ति अपना सभी जरूरी सामान लेकर उसमें सिफ्ट कर जायें इसे सुनिश्चित करा दिया जाएगा। उक्त Quarantine Centre पर साफ-सफाई, शुद्धपेयल, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करा दिया जाएगा।

(IX) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विद्यालयों में बनाये गये Quarantine Centre के नोडल पदाधिकारी जो उसी विद्यालय के शिक्षक हैं को बुलाकर सभी आवश्यक निर्देश दे दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि Quarantine Centre के प्रत्येक हॉल में कम से 2 मीटर की दूरी पर बेड लगाया जाएगा। यदि संदिग्धों की संख्या कम है तो उसे अलग-अलग कमरे में भी रखा जा सकता है।

(X) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बाहर से आने वाले सभी प्रवासी व्यक्तियों को उनके Home Quarantine के दौरान क्या करें, क्या नहीं करें से संबंधित पैम्फलेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके वितरण की जवाबदेही संबंधित मुखियाजी को दे दिया जाए तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया जाए कि वे इसको सुनिश्चित करायेंगे।

2. Confirm Cases and Isolation Cell :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पांच-पांच बेड का बनाये गये Isolation Centres का भी निरीक्षण करेंगे तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक कर सभी मूलभूत सुविधायें यथा-शौचालय, पेयजल, बिजली, साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था को देखेंगे। साथ ही एम्बुलेंस, दवा, उपकरण आदि की उपलब्धता की भी समीक्षा कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है उसे अपने-देखरेख में दुरुस्त करवा लेंगे।

(ii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाये गये Isolation Centres में सिर्फ Confirm Cases को रखा जाएगा।

(iii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाये गये चार-चार मेडिकल टीम को भी ब्रीफ कर दिया जाएगा। मेडिकल टीम को जिम्मेदारी दी गई कि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी होती है तो समुचित उपचार हेतु उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाना है। लाने के क्रम में सभी प्रकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही मेडिकल टीम के साथ सम्बद्ध वाहन एवं चालक का नाम एवं मोबाईल नंबर को चेक कर लिया जाएगा। इसमें जिन चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति की गई है वे सभी उपस्थित हैं या नहीं इसे भी देख लिया जाएगा।

3. Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि जिलास्तरीय Lockdown एवं विधि-व्यवस्था कोषांग के अनुरूप प्रखण्डस्तर पर भी कोषांग बनाया गया है।

२

दिनांक 14.04.2020 तक आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण जिला में पूर्णतः लॉकडाउन रखना है इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(ii) Lockdown की अवधि तक आकस्मिक सेवाओं जिनको इस परिधि से बाहर रखा गया है यथा- निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं ए0टी0एम0 सेवायें, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जियाँ की दुकानें, दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं सी0एन0जी0 स्टेशन, एल0पी0जी0 गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें, ई-कॉमर्स सेवायें एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। प्रखण्ड जाने के क्रम में यदि इनके अलावा कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान खुला पाया जाता है तो संबंधित अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को सूचना देकर अविलंब बंद कराया जाएगा।

(iii) इस अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, राज्य खाद्य निगम का वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा तथा इसका सख्ती से अनुपालन करायें। यदि परिचालन पाया जाता है तो उसके वाहन को जप्त कर कानूनी कार्रवाई करायेंगे।

(iv) लॉकडाउन के दौरान यदि आवश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर कोई भी साप्ताहिक हाट-बाजार खुला पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यदि कानून का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उनके दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील करा दिया जाएगा।

(v) यदि किसी दुकानदार/व्यवसायी के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर आवश्यक सेवाओं या वस्तुओं की बिक्री किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। माईकिंग के माध्यम से इस बात की सूचना का आमलोगों को दिया जाए। सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों के द्वारा इसको नियंत्रित कराने की कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्थिति में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होनी चाहिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(vi) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह निदेशित कर दिया जाए कि वे सभी आवश्यक वस्तुओं का दर निर्धारित कर उसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, खुदरा दुकानों पर प्रदर्शित कराया जाए। साथ ही वस्तुओं के मूल्य को दैनिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। यदि किसी दुकानदार के द्वारा अनावश्यक रूप से अधिक मूल्य पर सामान बेचा जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(vii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर या पंचायतस्तर पर किसी भी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नहीं बढ़े तथा जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं काजाबाजारी नहीं हो इसे प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए।

(viii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर या पंचायतस्तर पर कोई भी साप्ताहिक हाट नहीं खुले इसे सुनिश्चित करा दिया जाएगा। यदि फल अथवा सब्जी बेचा जाता है तो अंचलाधिकारी इसके लिए स्थान का चयन करा देंगे। साथ वैसे

९

स्थानों पर चूना से एक-एक मीटर की दूरी पर गोला बना दिया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंशन का अनुपालन हो।

(IX) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों बता देंगे कि Lockdown की अवधि में सभी प्रकार के आवश्यक एवं आकस्मिक वस्तुओं का अधिक से अधिक होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाए। इस हेतु इस हेतु खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता, मॉल, थोक एवं खुदरा बिक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक रणनीति तैयार किया जाए तथा उन्हें आवश्यक वस्तुओं का होम डिलीवरी कराने हेतु निदेशित किया जाए। यह भी बता दिया जाएगा कि आवश्यक सामग्रियों की कोई कमी नहीं है इसके लिए पेनिक होने की आवश्यकता नहीं है।

(X) यदि किसी वाहन के द्वारा कोई बीमार व्यक्तियों को ईलाज के लिए ले जाया जा रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा। संबंधित थानाध्यक्ष इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(xi) कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम के लिए मात्र एक ही वाहन के उपयोग की अनुमान्यता होगी। यदि इस हेतु पास मांगा जाता है तो इस शर्त के आधार पर पास दिया जाए तथा वाहन में बैठने वाले लोग दूरी का अनुपालन करेंगे।

4. Control Room :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तरीय Control Room नियमित रूप से कार्यरत है या नहीं इसकी समीक्षा कर लेंगे।

5. Mask/Sanitizer :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों की **Mask/Sanitizer** के उपयोग की भ्रांतियाँ को दूर कराने की कार्रवाई करेंगे। सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए **Mask/Sanitizer** की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाते हैं तो वे अपने मुँह पर रुमाल या साफ गमछा रख लेंगे। लोग अपने घर एवं आसपास की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा भीड़ वाले स्थान पर नहीं जायें। घर पर रहकर ही खुद को अधिक से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।

(ii) COVID-19 (कोरोना) वायरस के संदिग्ध मरीजों के उपचार लें लगे चिकित्सक अथवा पारा मेडिकल स्टॉफ **Mask/Sanitizer** का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। यदि क्लिनिकल मास्क का उपयोग किया जाता है तो उपयोग के बाद उसे या तो जला दिया जाए या जमीन के अन्दर गार दिया जाए।

(iii) **सेनिटाईजर** के स्थान पर साबुन तथा पानी से एक निश्चित अन्तराल पर 20 सेकेण्ड तक अपने हाथ को साफ करते रहें, तो संक्रमण से बचा जा सकता है। सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसकी समुचित जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

7. वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर बनाये गये मेडिकल टीम के साथ पुलिस पदाधिकारी भी निश्चित रूप

२

से सम्बद्ध रहें तथा संदिग्ध व्यक्तियों को Home Quarantine अथवा Quarantine Centre तक लाने में विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे। इसके साथ ही चौकीदारों को भी भेजा जाए। इस आशय का निदेश सभी थानाध्यक्षों को अपने स्तर से दे दिया जाए।

(i) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर एवं पंचायतस्तर पर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। किसी भी स्थिति में अनावश्यक लोगों अथवा वाहनों की आवाजाही नहीं हो तथा आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई भी दूकान नहीं खुले। पहचान पत्र का निश्चित रूप से अवलोकन किया जाए। बीमार एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं किया जाए।

(ii) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि शहर से गांव तक नियमित रूप से फ्लैग मार्च निकाली जाए। यह कार्य सम्पूर्ण लॉकडाउन की अवधि तक चलता रहे इसे सुनिश्चित कराया जाए।

(iii) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले सभी संदिग्ध व्यक्ति Home Quarantine का शतप्रतिशत अनुपालन करें इसे सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों के घरों में ताला लगवा दिया जाए तथा उनके घरों पर पोस्टर चिपकवा दिया जाए।

(iii) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस उपाधीक्षकों को निदेश दिया गया कि सभी थानेदार के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का दैनिक बाजार मूल्य की सूची प्राप्त किया जाए। सभी दुकानों में थोक एवं खुदरा मूल्य की तालिका लगवा दिया जाए।

8. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पंचायतवार पुलिस पदाधिकारियों की सम्बद्धता कर दी गई है। प्रखण्ड में समीक्षा के क्रम में पुलिस पदाधिकारी को बुलाया जाए।

9. आवासीय सामुदायिक किचेन :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार सभी नगर पंचायतों में आवासीय सामुदायिक किचेन की शुरुआत की जानी है। उक्त आवासीय सामुदायिक किचेन में शहर के आश्रयविहीन, फुटपाथी, निराश्रित व्यक्तियों को भोजन कराया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इसका नियमित संचालन सुनिश्चित कराया जाए तथा स्वयं भी स्थल का मुआयना कर लिया जाए।

(ii) निदेश दिया गया कि सामुदायिक किचेन में दो-दो मीटर की दूरी पर कुर्सी, टेबुल आदि लगवा दिया जाए तथा उसी पर बैठकर लोगों को भोजन खिलाया जाए। उक्त स्थल पर भोजन के अलावा पेयजल की भी समुचित व्यवस्था करा दिया जाएगा। साथ ही आवासीय सामुदायिक किचेन में कमरों की साफ-सफाई, वेंटिलेशन, पंखा, शौचालय आदि की भी व्यवस्था करा दी जाए।

(iii) निदेश दिया गया कि सामुदायिक किचेन स्थल पर आपदा राहत शिविर का बैनर भी लगवा दिया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों की इसकी जानकारी हो सके। साथ ही यह भी निदेशित किया जाए कि सामुदायिक किचेन के संचालन में होने वाले व्यय का संधारण पंजी में

कराया जाए। साथ ही दैनिक रूप से भोजन खाने वाले व्यक्तियों का आंकड़ा का भी संधारण पंजी में किया जाए।

(IV) अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिलास्तर पर नगर निगम क्षेत्र में भी जिला आपदा राहत केन्द्र की आज ही व्यवस्था करा लिया जाए। इस हेतु नगर आयुक्त के साथ स्थल आदि का चयन कर सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करा ली जाए।

10. राशन वितरण :-

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्डों में मार्च का राशन वितरण 31 मार्च 2020 के पहले करा दिया जाए। यदि जिन जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनके विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि खाद्यान्न वितरण का सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से लिखित में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए।

(ii) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेशानुसार मुफ्त राशन-किरासन का वितरण माह अप्रैल 2020 में किया जाएगा। इसकी भी समीक्षा कर लेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


दृ०/-

जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1275 / गो० दिनांक 27/3/20

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक/प्राचार्य, एस०के० एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर/एस०एम०ओ०, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुजफ्फरपुर/एच०ओ०डी०, पी०एस०एम०,

श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर / आई0 / सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी / अध्यक्ष / सचिव, आई0एम0ए0, मुजफ्फरपुर / जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर / डी0टी0एल0, केयर, मुजफ्फरपुर / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / सभी अंचलाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/11/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला गोपनीयप्रशाखा)

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [अ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2020 को COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा AES/चमकी बुखार से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिलास्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों/प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी संघारित।

दिनांक 28.03.2020 को जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में COVID-19 (कोरोना) वायरस के संक्रमण तथा AES/चमकी बुखार से बचाव एवं हेतु गठित जिलास्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों, प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रखण्डवार समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया:-

➤ COVID-19 (कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों तथा कर्मियों का हर प्रकार के सामान्य अवकाश को रद्द किया जाता है। सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे 24 घंटे मुख्यालय में बने रहेंगे तथा अल्पकालीन सूचना पर तुरंत कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रखण्ड मुख्यालय में आवासन सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी स्तर पर यह सूचना मिलती है कि आप मुख्यालय से बाहर कहीं और आवासन करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे कि यह वैश्विक आपदा का समय है तथा ऐसी परिस्थिति में सबों की भागीदारी अनिवार्य है। सभी लोग तन्मयता एवं तत्परता से अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी हो तो तुरंत वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लायेंगे और विवेकपूर्ण तरीके से उसका समाधान करेंगे।

1. साहेबगंज :-

(i) मो0 उमैर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि साहेबगंज प्रखण्ड में दिनांक 27.03.2020 तक विदेश से आने वाले कुल 33 प्रवासी लोगों की सूची प्राप्त कराया गया है। सभी लोगों का ट्रेकिंग हो गया है तथा पंयायतस्तरीय कर्मियों की भी सम्बद्धता हो चुकी है। ऐसे सभी लोगों को मास्क उपलब्ध करा दिया गया है तथा जिस कमरे में वे Home Quarantine में रह रहे हैं उस दीवार पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। उनके परिवार के सभी सदस्यों को संदिग्ध व्यक्तियों से दूर रहने एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा एवं एहतियात का पालन करने हेतु ब्रीफ करा दिया गया है। विदेश के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का भी सम्बद्ध कर्मियों के द्वारा नियमित रूप से Home Visit किया जा रहा है।

(ii) सर्वेक्षण :- मो0 उमैर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों का सर्वेक्षण

कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह देख लिया जाएगा कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iii) **Poster/Pamphlet** :- जानकारी दी गई कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे व्यक्ति जो Home Quarantine में रह रहे हैं उनके बीच Pamphlet का वितरण कराया जा रहा है।

(iv) **Isolation Centre** :- मो० उमैर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बनाये गये Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। कुछ कमियाँ पाई गई थी जिसे दूर करने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित कर दिया गया है। बनाये गये मेडिकल टीम के द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है तथा Home Quarantine में रह रहे व्यक्तियों का पर्यवेक्षण भी चल रहा है।

(v) **Control Room** :- मो० उमैर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साहेबगंज में अवस्थित नियंत्रण कक्ष (Control Room) कार्यरत है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है तथा उसका अतद्यतीकरण किया जा रहा है।

(vi) **जन वितरण प्रणाली** :- मो० उमैर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा मार्च 2020 का खाद्यान्न का उठाव कर उसका वितरण किया जा रहा है। पॉस मशीन में मात्र 46 प्रतिशत ही वितरण किया गया है। निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर शतप्रतिशत खाद्यान्न का वितरण 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले तीन माह का अनाज का मुफ्त वितरण किया जाएगा इसे भी सुनिश्चित कराया जाए।

(vii) **सामुदायिक किचेन** :- मो० उमैर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि निराश्रितों एवं फूटफाथी लोगों के लिए सामुदायिक किचेन आज संध्या से प्रारंभ करा दिया जाएगा। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत साहेबगंज को आवश्यक निदेश दिया गया है।

2. मुशहरी :-

(i) श्री कुंदन कुमार, अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुशहरी के द्वारा बताया गया कि विदेश से आने वाले कुल 40 लोगों को Home Quarantine किया गया है। उनमें से 27 शहरी क्षेत्र के तथा 13 ग्रामीण क्षेत्र के हैं। सभी का टैगिंग करा दिया गया है। सभी लोगों को मास्क उपलब्ध करा दिया गया है तथा जिस कमरे में वे Home Quarantine में रह रहे हैं उस दीवार पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। उनके परिवार के

सभी सदस्यों को संदिग्ध व्यक्तियों से दूर रहने एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा एवं एहतियात का पालन करने हेतु निदेश दे दिया गया है।

(ii) **Quarantine** :- श्री कुंदन कुमार, अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुशहरी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- श्री कुंदन कुमार, अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुशहरी के द्वारा बताया गया कि अन्य राज्यों से अभी तक आये कुल 413 लोगों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा ऑनलाईन टैगिंग का कार्य चल रहा है। सभी व्यक्तियों का भी सम्बद्ध कर्मियों के द्वारा नियमित रूप से Home Visit किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह देख लिया जाएगा कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर की जा रही है। निदेश दिया गया कि यह कार्य आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/Pamphlet** :- जानकारी दी गई कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे व्यक्ति जो Home Quarantine में रह रहे हैं उनके बीच Pamphlet का वितरण करा दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre** :- श्री कुंदन कुमार, अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुशहरी के द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बनाये गये Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। उक्त वार्ड की स्थिति काफी अच्छी है तथा सभी आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध है। मेडिकल टीम के साथ वाहनों की सम्बद्धता की गई है तथा नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है तथा Home Quarantine में रह रहे व्यक्तियों का पर्यवेक्षण भी चल रहा है। उक्त टीम के द्वारा कुल 14 व्यक्तियों का Home Visit किया गया है।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुशहरी में अवस्थित नियंत्रण कक्ष (Control Room) कार्यरत है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है तथा उसका अतद्यतीकरण किया जा रहा है।

3. सकरा :-

(i) श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सकरा के द्वारा बताया गया कि बाहर से आने वाले कुल 662 व्यक्तियों में से अभी तक मात्र 512 की इन्ट्री हो पायी है।

(ii) **Quarantine** :-श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सकरा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :-श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सकरा के द्वारा बताया गया कि अन्य राज्यों से आये लोगों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा ऑनलाईन टैगिंग का कार्य चल रहा है। सभी व्यक्तियों का भी सम्बद्ध कर्मियों के द्वारा नियमित रूप से Home Visit किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह देख लिया जाएगा कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/Pamphlet** :- विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे व्यक्ति जो Home Quarantine में रह रहे हैं उनके बीच Pamphlet का वितरण करा दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:-श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सकरा के द्वारा बताया गया कि रेफरल अस्पताल में बनाये गये Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। उक्त वार्ड पांच बेड की व्यवस्था की गई है तथा जगह का अभाव है। शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधायें दूरुस्त कराना सुनिश्चित करें। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि वे स्वयं इसका पर्यवेक्षण करें।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष(Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है तथा उसका अतद्यतीकरण किया जा रहा है।

4. मीनापुर :-

(i) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मीनापुर के द्वारा बताया गया कि विदेश से आने वाले कुल 20 व्यक्तियों की सूची प्राप्त हुई है।

(ii) **Quarantine**:- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मीनापुर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :-जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मीनापुर के द्वारा बताया गया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा नहीं कर पाये। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 208 वार्ड से सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा 195 वार्ड से आना बाकी है। निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह देख लिया जाएगा कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे महिला पर्यवेक्षिकाओं से शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/Pamphlet** :-जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मीनापुर द्वारा बताया गया कि Pamphlet नहीं मिलने के कारण वितरण नहीं हो पाया। निदेश दिया गया कि अविलंब वितरण करा दें।

(vi) **Isolation Centre**:-जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मीनापुरके द्वारा बताया गया कि Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त वार्ड में सभी आवश्यक सुविधायें दूरस्त कराना करा लेंगे।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है तथा उसका अतद्यतीकरण किया जा रहा है।

5. पारू :-

(i) श्री अनिल कुमार दास, अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, पारू के द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को तीन बार मोबाइल पर सूचना दिया गया तथा वे 2.00 बजे अपराहन में प्रखण्ड मुख्यालय पहुंची। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

(ii) **Quarantine**:-श्री अनिल कुमार दास, अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, पारू द्वारा बताया गया कि विद्यालयों में Quarantin Centre बना लिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :-श्री अनिल कुमार दास, अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, पारू के द्वारा बताया गया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सर्वेक्षण कार्य ठीक से नहीं हुआ है। सर्वेक्षण कार्य का सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में

पृच्छा किये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 780 वार्ड में से 509 वार्ड का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :-पाया गया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप पंचायतस्तरीय कर्मियों की निर्धारित मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता नहीं हो पाई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :-श्री अनिल कुमार दास, अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, पारुद्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे।

(vi) **Isolation Centre**:-श्री अनिल कुमार दास, अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, पारु के द्वारा बताया गया कि Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी उपस्थित थे तथा वहां पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है तथा उसका अतद्यतीकरण किया जा रहा है।

6. औराई :-

(i) मो० फैयाज अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, औराई के द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को मोबाइल पर सूचना दिया गया वाबजुद वे प्रखण्ड मुख्यालय नहीं पहुंची। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अनुपस्थित दिनों का वेतन स्थगित रखते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछे तथा कार्रवाई का प्रस्ताव दें।

(ii) **Quarantine**:-मो० फैयाज अख्तर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, औराई के द्वारा बताया गया कि जो पूर्व में 13 विदेश से आये थे जिनमें से 8 को Home Quarantine किया गया है। शेष को भी अविलंब Home Quarantine कराया जाए। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि कुछ वार्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- पाया गया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप पंचायतस्तरीय कर्मियों की निर्धारित मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता नहीं हो पाई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संख्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- बताया गया Pamphlet का वितरण किया जा रहा है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे।

(vi) **Isolation Centre**:- बताया गया कि Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी उपस्थित थे तथा वहां पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मेडिकल टीम के द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण कराया जाए।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संघारित किया गया है।

7. कांटी :-

(i) श्री उदय कुमार झा, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कांटी के द्वारा बताया गया कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों के घर पर जाकर विजिट किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाहर से आने वाले कुल 677 व्यक्तियों की सूची प्राप्त हुई है जिसमें से 473 का इन्ट्री करा दिया गया है।

(ii) **Quarantine**:- श्री उदय कुमार झा, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कांटी के द्वारा बताया गया कि जो भी विदेश से आये थे उन सभी को Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

उनके द्वारा बताया गया कि विद्यालयों में बनाये गये Quarantine Centreमें से दो जगह स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तथा विद्यालय भी बंद पाया

गया। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी विद्यालयों में आवश्यक व्यवस्थायें करा दें तथा विद्यालय को नियमित रूप से खोलें।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि कुछ सर्वेक्षण प्रतिवेदन वार्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा सर्वेक्षण और ठीक से करने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप पंचायतस्तरीय कर्मियों की निर्धारित मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता नहीं हो पाई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया जा रहा है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे।

(vi) **Isolation Centre** :- बताया गया कि Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward तक जाने का सम्पर्क पथ उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सम्पर्क पथ दुरुस्त कराने को कहा गया।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक कुल 153 घरों का मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया गया है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संघारित किया गया है।

8. कुढ़नी :-

(i) श्री सुरेन्द्र कुमार अलबेला, भूमि सुधान उप समाहर्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कुढ़नी के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

(ii) **Quarantine** :- श्री सुरेन्द्र कुमार अलबेला, भूमि सुधान उप समाहर्ता, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कुढ़नी के द्वारा बताया गया कि 5 व्यक्ति विदेश से आये थे उनमें से 4 को Home Quarantine किया गया है। एक व्यक्ति समस्तीपुर का है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि कुल 672 लोगों का सर्वेक्षण किया गया था जिसके विरुद्ध 242 का टैगिंग हो चुका है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोई भी महिला पर्यवेक्षिका लॉकडाउन के बाद से प्रखण्ड नहीं आ रही है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जितने दिनों से महिला पर्यवेक्षिकायें नहीं हा रही हैं उतने दिनों का वेतन कटौती करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछकर अनुशासनिक कार्रवाई करें।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों में 210 का मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे।

(vi) **Isolation Centre** :- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है। चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति है, परन्तु आयुष चिकित्सक नियमित रूप से आ रहे हैं तथा एमबीबीएस चिकित्सक नहीं आते हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सिविल सर्जन को उपलब्ध करायें।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

9. **मुरौल** :-

(i) श्री बबन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुरौल के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

(ii) **Quarantine** :- श्री बबन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुरौलके द्वारा बताया गया कि 5 व्यक्ति विदेश से आये थे उनमें से 4 को Home Quarantine किया गया है। एक व्यक्ति समस्तीपुर का है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि कुल 238 लोगों का सर्वेक्षण किया गया जिसके विरुद्ध 206 का इन्ट्री हो चुका है। आज सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करा लने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संख्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है। चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति है, परन्तु आयुष चिकित्सक नियमित रूप से आ रहे हैं तथा एमबीबीएस चिकित्सक नहीं आते हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सिविल सर्जन को उपलब्ध करायें।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा है। कोरोना से संबंधित प्राप्त आसूचना के अनुरूप उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संघारित किया गया है।

10. सरैया :-

(i) परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सरैया के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सरैया अनुपस्थित रही।

(ii) **Quarantine**:-परियोजना निदेशक, आत्मा, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सरैया के द्वारा बताया गया कि 33 व्यक्ति विदेश से आये थे उनमें से सभी को ट्रेकिंग करते हुए Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का सर्वेक्षण किया गया तथा इन्ट्री हो चुका है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि हमेशा चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

(vii) **Control Room** :- बताया गया कि नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा तथा उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

11. मड़वन :-

(i) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मड़वन के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि विदेश आये कुल 25 व्यक्तियों की सूची मिली थी।

(ii) **Quarantine** :- सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मड़वन के द्वारा बताया गया कि 25 व्यक्ति विदेश से आये थे उनमें से सभी को ट्रेकिंग करते हुए Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home

Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का सर्वेक्षण किया गया तथा कुल सर्वेक्षित 520 व्यक्तियों में से 468 का इन्ट्री हो चुका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी शेष व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि हमेशा चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

(vii) **Control Room** :- नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा तथा उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

12. बोचहां :-

(i) अपर अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बोचहां के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

(ii) **Quarantine** :- अपर अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बोचहां के द्वारा बताया गया कि विदेश से आये सभी व्यक्तियों को ट्रेकिंग करते हुए Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

यह भी बताया गया कि विद्यालयों में बनाये गये QuarantineCentres की स्थिति ठीक नहीं है। साफ-सफाई का घोर अभाव पाया गया। जिस विद्यालय का निरीक्षण किया गया उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक अनुपस्थित पाया गया। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उसे अच्छे से साफ-सफाई करा दिया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछे एवं सभी विद्यालयों में साफ-सफाई की पुख्ता व्यवस्था करायी जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि बाहर से आने वाले कुल 279 में से 220 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तथा सर्वेक्षित व्यक्तियों का इन्ट्री नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित नहीं पाया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने दिन वे अनुपस्थित रहे हैं उतने दिन का वेतन स्थगित रखते हुए उन सभी से स्पष्टीकरण पूछें। साथ ही सभ को सूचित करें कि वे नियमित रूप से अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये वैसे सभी शेष व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है। वहां पर एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि हमेशा चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाता है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस भी उपलब्धता सुनिश्चित करायें। यदि एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए।

(vii) **Control Room** :- नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा तथा उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

13. मोतीपुर :-

(i) अपर अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मोतीपुर के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है। उन्होंने ने बताया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचना देने के बाद वे उपस्थित नहीं हुई। डेढ़ घंटे के बाद वे एक परिचारी को भेजे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुजफ्फरपुर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पटीकरण पूछकर अनुशासनिक कार्रवाइ का प्रस्ताव देंगी।

(ii) **Quarantine** :- अपर अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मोतीपुर के द्वारा बताया गया कि 29 विदेश से आये सभी व्यक्तियों को Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि बाहर से आने वाले 475 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तथा अभी तक 375 का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षित व्यक्तियों का इन्ट्री किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी शेष व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है।

(vii) **Control Room** :- नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा तथा उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

(viii) **PDS** :- उनके द्वारा बताया गया कि 30 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा नहीं किया गया है। अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इसे सुनिश्चित करायें।

(ix) **सामुदायिक किचेन** :- बताया गया कि निराश्रितों एवं फूटफाथी लोगों के लिए सामुदायिक किचेन चलाया जा रहा है।

14. बंदरा :-

(i) जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बंदरा के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

(ii) **Quarantine** :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बंदरा के द्वारा बताया गया कि 3 लोग विदेश से आये सभी व्यक्तियों को Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा किसी प्रकार का संदिग्ध लक्षण नहीं पाते हैं तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि बाहर से आने वाले 636 लोगों का सर्वेक्षण किया गया तथा अभी तक कुछ वार्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सर्वेक्षित व्यक्तियों में से 598 का इन्ट्री हो चुका है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी शेष व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है।

(vii) **Control Room** :- नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा तथा उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

15. गायघाट :-

(i) श्री कृष्ण कुमार वर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बंदरा के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक निदेश दे दिया गया है।

(ii) **Quarantine** :- श्री कृष्ण कुमार वर्मा, जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बंदरा के द्वारा बताया गया कि 8 लोग विदेश से आये जिसमें से एक का नाम रिपीट था। सभी व्यक्तियों को Home Quarantine किया गया है। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा कोई संदिग्ध लक्षण नहीं है तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- बताया गया कि बाहर से आने वाले लोगों का सर्वेक्षण किया गया तथा अभी तक कुछ वार्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सर्वेक्षित व्यक्तियों का इन्ट्री हो चुका है। निदेश दिया गया कि महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- उन्होंने बताया कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता कर दी गई है। निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी शेष व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया Pamphlet का वितरण किया गया है। Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया गया है। निदेश दिया गया कि ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

(vi) **Isolation Centre**:- उन्होंने बताया कि उनके द्वारा Isolation Centre का निरीक्षण किया गया। Isolation Ward की व्यवस्था संतोषप्रद है।

(vii) **Control Room** :- नियंत्रण कक्ष (Control Room) नियमित रूप से कार्यरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार मेडिकल टीम के द्वारा विजिट किया जा रहा तथा उसका फॉलोअप किया जा रहा है। सूचना संकलन हेतु पंजी संधारित किया गया है।

16. कटरा :-

(i) जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कटरा को निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से प्रखण्ड में जाकर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(ii) **Quarantine** :- निदेश दिया गया कि विदेश से आये सभी व्यक्तियों को Home Quarantine में रखा जाएगा। उनके घरों पर पोस्टर चस्पा करा दिया जाए। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे व्यक्ति जिनको Home Quarantine किया गया है तथा वे 14 दिन की अवधि पूर्ण कर लिये हैं तथा कोई संदिग्ध लक्षण नहीं है तो उनको सूची से हटा दिया जाए।

(iii) **सर्वेक्षण** :- निदेश दिया गया कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षित व्यक्तियों का इन्ट्री सुनिश्चित कराया जाए। महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि किस वार्ड से अभी तक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है। जिस वार्ड से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी वार्ड में कोई भी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन में शून्य अंकित कर प्राप्त करा लिया जाए।

(iv) **Tagging** :- यदि सर्वेक्षित व्यक्तियों का पंचायतस्तरीय कर्मियों के साथ मोबाइल एप पर ऑनलाईन सम्बद्धता नहीं हुई है तो उसे करा दिया जाए। विदेश अथवा अन्य राज्यों से आये जैसे सभी शेष व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक 10-10 व्यक्तियों पर पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता मोबाइल एप पर आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

(v) **Poster/pamphlet** :- निदेश दिया गया कि Pamphlet का वितरण कराते हुए Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों के कमरे के सामने वाले दीवार पर पोस्टर चिपका दिया जाये। ऐसे सभी व्यक्तियों के बीच क्या करें, क्या नहीं करें वाला पैम्फलेट अनिवार्य रूप से वितरण करा दी जाए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है उन्हीं कर्मियों से पैम्फलेट का वितरण करायेंगे। साथ ही मास्क भी दे दिया गया है।

17. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विदेश अथवा अन्य राज्यों से आने वाले सर्वेक्षित व्यक्तियों के डाटा को 14 मार्च 2020 की तिथि के आधार पर फिल्टर कर लिया जाए तथा जिनका Home Quarantine में रहने की अवधि 14 दिन पूर्ण हो चुका है तथा उसमें कोई संदिग्ध लक्षण नहीं है तो उसकी अलग से सूची बना लिया जाए। साथ ही जो लोग 14 मार्च 2020 के बाद आये हैं उन सभी को Home Quarantine में रखते हुए पंचायतस्तरीय कर्मियों की सम्बद्धता करते हुए उनके द्वारा दैनिक पर्यवेक्षण कराया जाए। यह कार्य आज संध्या तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए।

18. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 14 मार्च 2020 के बाद आये सभी विदेशी प्रवासियों के निवास स्थान का शतप्रतिशत सत्यापन करा लिया जाए तथा उनको Home Quarantine में रखा जाए और विशेष निगरानी रखा जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि 14 दिन के भीतर वाले सभी विदेशी व्यक्तियों का सैम्पल लेकर अनिवार्य रूप से टेस्ट करवा दिया जाए। यदि जो लोग अपने घर पर ही Home Quarantine में रह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखा

जाएगा कि वे अपने परिवार या समाज के किसी अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में कदापि नहीं आयें तथा वे मास्क का उपयोग करें। उनके परिवार के सदस्य को यह सुझाव दिया जाए कि जिस कमरे में बाहर से आने वाले सदस्य रह रहे हैं उनके दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। जो लोग उनका देखभाल करते हैं या खाना, पानी या अन्य दैनिक वस्तुएं देते हैं वे भी विशेष सावधानी बरतें तथा मास्क एवं ग्लब्स का निश्चित रूप से उपयोग करें।

19. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विदेशों से अथवा अन्य राज्यों से आने वाले सभी छोटे हुए व्यक्तियों के घरों में पोस्टर अनिवार्य रूप से अपने देखरेख में चस्पा करा दिया जाए। Home Quarantine वाले व्यक्तियों के Home Visit या पर्यवेक्षण में जब पंचायतस्तरीय कर्मी जायेंगे वे उसमें तिथिवार दैनिक उपस्थिति अंकित करेंगे। साथ ही Home Quarantine में रह रहे सभी व्यक्तियों को क्या करें, क्या नहीं करें वाले पैम्फलेट उपलब्ध करा दिया जाए।

20. जन वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्यान्न वितरण:—सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की समीक्षा कर लेंगे। साथ ही मार्च 2020 का खाद्यान्न 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से वितरित हो जाये इसे सुनिश्चित करायेंगे। अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। अगले दो माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा इसे भी सुनिश्चित करायेंगे।

21. **Lockdown** :- निदेश दिया गया कि सभी प्रकार का साप्ताहिक हाट बंद रहेगा। यदि दैनिक रूप से आवश्यक वस्तुओं यथा फल, सब्जी बेचना चाहते हैं तो उनके लिए जगह चिन्हित करा दिया जाए। साथ ही सभी दुकानों के सामने एक या दो मीटर की दूरी पर चूना से गोला बना दिया जाए, ताकि सभी ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे। सभी अंचलाधिकारियों द्वारा इस आशय का बकायदा आदेश निर्गत कर दिया जाए तथा उसका अनुपालन कराया जाए।

22. **मूल्य नियंत्रण** :- सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि स्थानीय बाजार में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण रहे इसे सुनिश्चित कराया जाए।

23. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि किसी व्यवसायी को माल ढोने के लिए वाहन का पास चाहिए तो उसकी सूची भेजकर जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से पास प्राप्त कर लेंगे।

24. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति में कोराना की पुष्टि हो जाती है तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बनाये गये **Isolation Ward** से निकालकर एस0के0एम0सी0एच0 में लाने की समुचित तैयारी पूर्व से रखेंगे। इस हेतु सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रखण्डस्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी सुनिश्चित करा ली जाए।

25. **सामुदायिक किचन** :- सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को

जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए सामुदायिक किचन चलाने की विभागीय मार्ग-निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग किया जाता है तो उन्हें सुझाव दिया जाए कि वे सूखा राशन गरीब परिवारों को उपलब्ध करायेंगे।

(i) जानकारी दी गई कि विभागीय निदेशानुसार शहरी क्षेत्र एवं नगर पंचायतों में गरीब एवं असहाय व्यक्तियों के सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। वर्तमान में विभाग का निदेश प्राप्त हुआ है कि सभी शहरी क्षेत्रों में निराश्रितों के आवासीय सामुदायिक किचन चलाया जाना है। सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ii) निदेश दिया गया कि सामुदायिक किचन में दो-दो मीटर की दूरी पर कुर्सी, टेबुल आदि लगवा दिया जाए तथा उसी पर बैठकर लोगों को भोजन खिलाया जाए। उक्त स्थल पर भोजन के अलावा पेयजल की भी समुचित व्यवस्था करा दिया जाएगा। साथ ही आवासीय सामुदायिक किचन में कमरों की साफ-सफाई, वेंडीलेशन, पंखा, शौचालय आदि की भी व्यवस्था करा दी जाए।

(iii) निदेश दिया गया कि सामुदायिक किचन स्थल पर आपदा राहत शिविर का बैनर भी लगवा दिया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों की इसकी जानकारी हो सके। साथ ही यह भी निदेशित किया जाए कि सामुदायिक किचन के संचालन में होने वाले व्यय का संधारण पंजी में कराया जाएगा। साथ ही दैनिक रूप से भोजन खाने वाले व्यक्तियों का आंकड़ा का भी संधारण पंजी में किया जाएगा।

26. **Mask/Sanitizer:-**

(i) सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि COVID-19(कोरोना) वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों की **Mask/Sanitizer** के उपयोग की भ्रांतियों को दूर कराने की कार्रवाई करेंगे। सभी प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि सामान्यतः किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए **Mask/Sanitizer** की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाते हैं तो वे अपने मुंह पर रुमाल या साफ गमछा रख लेंगे। लोग अपने घर एवं आसपास की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा भीड़ वाले स्थान पर नहीं जायें। घर पर रहकर ही खुद को अधिक से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है।

(ii) COVID-19 (कोरोना) वायरस के संदिग्ध मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सक अथवा पारा मेडिकल स्टॉफ **Mask/Sanitizer** का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। यदि क्लिनिकल मास्क का उपयोग किया जाता है तो उपयोग के बाद उसे या तो जला दिया जाए या जमीन के अन्दर गाड़ दिया जाए।

(iii) सेनिटाईजर के स्थान पर साबुन तथा पानी से एक निश्चित अन्तराल पर 20 सेकेण्ड तक अपने हाथ को साफ करते रहें, तो संक्रमण से बचा जा सकता है। सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इसकी समुचित जानकारी उपलब्ध कराया जाय।

26. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को

निदेश दिया गया कि COVID-19 (कोरोना) वायरस से बचाव हेतु लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाने की कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति जो कोरेन्टाईन में हैं वे इसका सख्ती से अनुपालन करें। कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति किसी से नहीं मिले इसे सुनिश्चित कराया जाए।

27. सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों/थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाए तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में दिया जाए तथा सम्यक निर्णय लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
28. सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अन्य राज्यों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की समुचित व्यवस्था करेंगे। यदि कोई भी श्रमिक संदिग्ध पाया जाता है तो उसे आईसोलेशन वार्ड में चिकित्सीय देखरेख में रखेंगे।
29. अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वैश्विक आपदा कोरोना के रोकथाम एवं नियंत्रण अथवा आमजनों की सहायताार्थ यदि कोई गैर-सरकारी संस्था, एजेंसी दान देना चाहते हैं तो उसे रेडक्रॉस सोसायटी, मुजफ्फरपुर में दान देने हेतु सूचित किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि सचिव, रेडक्रॉस सोसायटी, मुजफ्फरपुर के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारी कर ली जाए।
30. सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हो इसे सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहित किया जाए।
31. अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि जिले के हिंदु एवं मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं/प्रचारकों के साथ बैठक कर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश दे दिया जाए। उन्हें बताया जाए कि आगामी पर्व-त्योहारों के अवसर पर जुलूस, सार्वजनिक जलसा, मजलिश, रैली आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। यदि इसका उल्लंघन होगा तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
32. श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को निदेश जाता है कि वे अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की सूची तैयार का उनका नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
33. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी फ्लोर मिल के संचालकों को बिहार राज्य खाद्य निगम से गेहूं उठाव करने हेतु निदेशित करें। यदि किसी भी आटा मिल के द्वारा गेहूं का उठाव नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। दैनिक प्रतिवेदन सभी मिलों से प्राप्त किया जाए तथा यह देखा जाए कि पूर्व की भांति क्षमता के अनुरूप आटा तैयार किया जा रहा है या नहीं। अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी आटा मिलों से इस आशय का प्रतिवेदन लिया जाए कि लॉकडाउन के पहले प्रतिवेदन कितना आटा तैयार किया जा रहा था तथा वर्तमान में कितना आटा तैयार किया जा रहा है। यदि इसमें किसी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसे अविलंब नोटिस करें तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अनुमंडलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे दैनिक रूप से आटा मिल की जांच करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

34. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि कोरोना से संबंधित सभी प्रकार की प्रचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रखण्डों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।

35. AES/चमकी बुखार :- सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि AES/चमकी बुखार की रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी आवश्यक तैयारियों की एक बार समीक्षा कर ली जाए। जैसा कि आप अवगत हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ ही AES/चमकी बुखार के मामले सामने आने लगते हैं। इसलिए इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ तत्पर एवं मुस्तैद रहने की आवश्यकता है।

(i) अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AES/चमकी बुखार की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक समिति का गठन कराया जाए। उक्त समिति का प्रारूप तैयार अधोहस्ताक्षरी के साथ विमर्श कर लिया जाए।


अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह/ —
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक/२९७ / गो० दिनांक २८/३/२०

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर/नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, मुजफ्फरपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक/प्राचार्य, एस०के०एम०सी०एच०, मुजफ्फरपुर/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरपुर जिला/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/जिला मलेरिया पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, मुजफ्फरपुर/एस०एम०ओ०, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुजफ्फरपुर/सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव, आई०एम०ए०, मुजफ्फरपुर/जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी अंचलाधिकारी,

मुजफ्फरपुर जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर जिलाको सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/04/2020
जिला पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।